

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	06/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष का मत अनुपस्थित / न्यायालय द्वारा तीन-तीन बार आवाज लगावाई गई। उभय पक्षों का वजूद रूचना के अनुपस्थित है। अतः प्रकरण अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 प्राप्ता दीवानी के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली में सल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है। आदेश सुने न्यायालय में सुनाया गया।

अभि
लेखक